Serial No. 14066 Circle:-:Motihari Book No.:- 4 Deed No. 91

Serial No. 14066 Deed No 91

बिहार सरकार

जिला निबंधन कार्यालय मोतिहारी

पृष्ठांकन का सारांश

दिनांक **28/11/2014** को **Shiv Kishor Singh(Settelor- Vishwa Anu Social And Educational Trust)** द्वारा यह दस्तावेज निबंधन हेतु उपस्थापित किया गया । इसमें रू0 **5000** मुद्रांक शुल्क एवं रू0 **1340** निबंधन तथा अन्य शुल्क का भुगतान किया गया । दस्तावेज ग्राह्य पाया गया । जिन लेख्यकारियों ने मेरे समक्ष इसका निष्पादन स्वीकार किया उनके तथा उनके पहचानकर्ता के नाम, फोटो, अंगुलियों के निशान एवं हस्ताक्षर पीछे अंकित हैं। इसे दस्तावेज सं0 **91** के रूप में पुस्तक सं0 **4** की जिल्द सं0 **2** के पृष्ठ सं0 **476** से **491** तक में आज निबंधित एवं कुल **16** पृष्ठों में संधारित किया गया ।

बिहार सरकार

SCORE 3.0

सुशील कुमार सुमन
निबंधन पदाधिकारी

दिनांक- 28/11/2014 टोकन नं. 14564 / 2014

चालान जाँचा
प्रभारी लिपिक

दस्तावेज जाँचा।
स0 जाँच लिपिक

न्यास-पत्र

विश्व अनु सोशल एण्ड एजुकेशनल ट्रस्ट

District Registry Office,Motihari

Token Number 14564 | Reg. Year 2014 | Serial Number 14066 | Deed Number 91

PresType	Name	Photo	Thumb	Index	Middle	Ring	Little
Sig.	Shiv Kishor Singh (Settelor- Vishwa Anu Social And Educational Trust)	Photo	Thumb	Index	Middle	Ring	Little

Presented By — Shiv Kishor Singh (Settelor- Vishwa Anu Social And Educational Trust)

Sig. शिव किशोर सिंह

Trustee — Mani Bhushan Kumar

Sig. मणि भूषण कुमार

Trustee — Rekha Devi

Sig. रेखा देवी

Trustee — Santosh Kumar Ranjan

Sig. संतोष कुमार रंजन

Trustee — Vinay Parkash

Sig. विनय प्रकाश

Identified By — Chandra Bhushan Kumar Singh

Sig. Chandra Bhushan Singh

न्यास-पत्र

यह न्यास पत्र आज दिनांक. 22/11/2014 को स्थान मोतिहारी (बिहार) के श्री शिव किशोर सिंह पिता-विश्वनाथ सिंह ग्राम+पो0-न्यू चाँदमारी जिला-पूर्वी चम्पारण(बिहार) (जो न्यास के उपनिवेसी) है, जो कि ट्रस्ट के सेटलर ट्रस्टी सदस्य के नाम से जाने जाएँगे।

हमारी हार्दिक अभिलाषा है कि समाज में स्थायी सुख-शान्ति, संगठन, सद्भाव एवं विश्वास के साथ गुणों की स्थापना हेतु न्यास की स्थापना की जाए तथा उपर्युक्त की पूर्ति के लिए आवश्यक समस्त साधनों का संग्रह किया जाए। इसके निमित प्रारभिंक मुद्रा-51000/-रूपये (एकावन हजार रूपये केवल) प्रदान करते है जो कि मैं निष्पादनकर्ता आजीवन सेट्लर के रूप में कर्यरत रहेंगे।

....

1. न्यास का नाम **विश्व अनु सोशल एण्ड एजुकेशनल ट्रस्ट**

2. न्यास का पंजीकृत कार्यालय न्यू चॉंदमारी ,मोतिहारी

3. न्यास का कार्यक्षेत्र सम्पूर्ण भारत ।

उपर्युक्त सेट्लर/न्यासी, न्यास के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए सेट्लर/न्यासकर्त्ता के साथ मिलकर कार्य करना स्वीकार करते है।

न्यास का लक्ष्य एवं उद्देश्य पूर्ण रूप से समाज के उत्थान के लिये होंगे और उसके आय से बिना किसी पक्षपात के सर्व कल्याणार्थ प्रयोग की जाएगी। इसमें कोई भी ऐसी कार्य सम्मिलित नहीं होगा जिससे किसी प्रकार का व्यक्तिगत लाभ अर्जित करना अभिप्रित हो।

4. न्यास में ट्रस्टी सदस्य की संख्या: न्यास में ट्रस्टी सदस्य की संख्या कम से कम (2) दो और अधिक से अधिके (7) सात ट्रस्टी सदस्य बना सकेंगे।

5. न्यास का गठन-

क्र0	नाम/पिता का नाम	पता	पेशा	पद
1.	श्री शिव किशोर सिंह	ग्राम+पो0-न्यू चॉंदमारी	समाज	सेट्लर:सह
	पिता- श्री विश्वनाथ सिंह	जिला-पूर्वी चम्पारण	सेवा	(न्यासी) ट्रस्टी
2.	श्रीमति रेखा देवी	ग्राम+पो- बरवा,लखौरा	समाज	ट्रस्टी
	पिता-स्व0 नरेन्द्र प्रसाद सिंह	जिला-पूर्वी चम्पारण	सेवा	सदस्य (न्यासी)
3.	श्री संतोष कुमार रंजन	ग्राम+पो0- कोदरकट बनकटवा	समाज	ट्रस्टी
	पिता-स्व0 योगंन्द्र सिंह	जिला-पूर्वी चम्पारण	सेवा	सदस्य (न्यासी)
4.	श्री विनय प्रकाश	ग्राम+पो0- अमरवा	समाज	ट्रस्टी
	पिता- स्व0 मथाइस नाथल	जिला-पूर्वी चम्पारण	सेवा	सदस्य (न्यासी)
5.	श्री मणि भुषण कुमार	ग्राम+पो0 शिकारपुर सिकटा	ट्रस्ट	
	पिता- सुरेन्द्र कुमार	जिला-प0 चम्पारण	सेवा	सदस्य (न्यासी)

उपर्युक्त समस्त न्यासी, न्यास के उद्देश्यों को पूर्ति के लिए सेट्लर के साथ मिलकर कार्य करना स्वीकार करते है।

न्यास का लक्ष्य एवं उद्देश्य पूर्ण रूप से समाज के उत्थान के लिए होंगे और इसके आय से बिना किसी पक्षपात के सर्व कल्याणार्थ प्रयोग की जाएगी। इसमें कोई भी ऐसा कार्य सम्मिलित नहीं होगा। जिससे किसी प्रकार का व्यक्तिगत लाभ अर्जित करना अभिप्रित हो।

न्यास का ज्ञापन

1. न्यास का नाम : **विश्व अनु सोशल एण्ड़ एजुकेशनल ट्रस्ट**

2. न्यास का पंजीकृत कार्यलय : न्यू चॉंदमारी ,मोतिहारी , जिला-पूर्वी चम्पारण पिन कोड 845401(बिहार)

8
28.11

3. ट्रस्ट का ध्येय एवं उद्देश्य-

1. ट्रस्ट द्वारा आई0टी0आई0 (एन0सी0वी0टी0), पारा मेडिकल, इंजिनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, आयुर्वेदिक, होमियोपैथिक कॉलेज, बी0एड0 कॉलेज, नर्सिंग इन्स्टीच्यूट (ए0एन0एम0) पोलिटेकनिक कॉलेज, फार्मेसी कॉलेज का संचालन किया जायगा।

2. ट्रस्ट द्वारा समाज में व्याप्त निरक्षरता के उन्मुलन हेतु शिक्षा के विभिन्न कार्यक्रमों का संचालन करना। सीाी प्रकार के शिक्षण संस्थान का संचालन किया जायेगा। जिससे मेघावी गरीब छात्र-छात्राओं को प्रोत्साहित करना एवं उच्च शिक्षा ग्रहण करने में मदद करना।

3. समाज के गरीब, दलित, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों, कमजोर वर्गों, आदिवासियों के आर्थिक, सामाजिक शैक्षणिक, सांस्कृतिक, नैतिक विकास हेतु विभिन्न कार्यक्रमों का संचालन करना।

4. शिक्षित बेरोजगार युवक-युवतियों को स्वावलम्बी बनाने हेतु टंकण कला, आशुलिपि, कम्प्यूटर, इलेक्ट्रोनिक्स, मेडिकल एवं अन्यय तकनीकी, गैर तकनीकी प्रशिक्षण संस्थान का संचालन करना।

5. समाज में व्याप्त कुरीतियों जैसे बाल-विवाह, वेश्यावृति, दहेज प्रथा, नशाखोरो. सम्प्रदाय वाद इत्यादि की समाप्ति करने हेतु विभिन्न कार्यक्रमों, संगोष्ठियों, शिविर, पदयात्रा, प्रतियोगितायें आदि का आयोजन करना। आदर्श विवाह एवं अन्तर्जातीय विवाह को प्रोत्साहित करना।

6. प्राकृतिक आपदा एवं अन्य आपातकाल में अनेकानेक जन कल्याणकारी कार्यक्रमों का संचालन करना। प्राकृतिक प्रकोपों से पीड़ित जन समुदाय को हर संभव सहयोग करना।

7. पर्यावरण को प्रदूषण मुक्त बनाने हेतु वृक्षारोपण एवं अन्य कार्यक्रमों को संचालन करना। सौर्य उर्जा, प्राकृतिक उर्जा के बारे में जानकारी देना साथ ही ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र में स्वच्छता अभियान का संचालन करना। नल-कूप निर्माण, लोगों को स्वच्छ पेयजल, शौचालय आदि उपलब्ध कराना।

8. पुस्तकालय, वाचनालय, संगीतालय का संचालन करना। पत्र-पत्रिकाओं का प्रकाशन वितरण एवं संग्रह करना। नाटक, नृत्य, संगीत, वादय का प्रशिक्षण देना।

9. लोगों के स्वास्थ्य की रक्षा हेतु स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराना। परिवार कल्याण शिविर, टीकाकरण शिविर एवं अन्य स्वास्थ्य का आयोजन करना। असाध्य रोग, एड्स, कैंसर, टी0बी0, कालाजार, हेपेटाईटिस आदि से बचने हेतु आवश्यक जानकारी देना एवं ग्रसित लोगों को चिकित्सा सेवा उपलब्ध कराना। अस्पृश्यता निवारण हेतु व्यापक स्तर पर कार्य करना।

10. समाज के गरीब एवं नि:सहाय लोगों के आर्थिक, विकास हेतु लघु उद्योग, कुटीर उद्योग, गृह उद्योग, खादी ग्रामोद्योग, मत्स्यपालन, मधुमक्खीपालन, रेशमकीटी पालन, पशुपालन, डेयरी उद्योग फल एवं खाद्य प्रसंस्करण का प्रशिक्षण देना।

11. उर्जा के संरक्षण हेतु बायो गैस प्लांट, सौर उर्जा, उर्जा के गैर पारम्परिक स्रोतो की जानकारी देना एवं उपलब्ध कराना।

12. नेत्रहीन, मूक, बधिर शारीरिक रूप से विकलांग एवं मासिक रूप से अर्द्धविकसित बच्चों, लोगों के शेक्षणि विकास हेतु शिक्षण-प्रशिक्षण सह उत्पादन केन्द्र संचालन करना। उनके लिए कल्याणकारी कार्यो का सम्पादन करना। विकलांगता के रोकथाम हेतु कार्य करना।

14. कृषि एवं बागवानी के विकास हेतु कृषकों को आधुनिक औजार, उन्नत बीज, उन्नत खाद, वर्मी कम्पोस्ट सिंचाई के उपयुक्त साधन, जलछाजन, जलसंचयन, लनकूप, तालाब, पोखरा आदि उपलब्ध कराना। औषधीय पौधों के उत्पादन हेतु आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराना।

15. बेसहारा पशुओं की समुचित देख-रेख एवं चिकित्सा की व्यवस्था करना एवं रक्षा हेतु अभियान चलाना।

16. अनाथ बच्चों, वृद्धों, विधवाओं, वेश्याओं, प्रताड़ित, परित्यक्ता, असहाय लोगों के लिए कल्याणकारी कार्यो का संचालन करना। उनके लिए आश्रय स्थल भोजन, शिक्षा, चिकित्सा आदि उपलब्ध कराना। बाल-श्रमिकों के कल्याणार्थ कार्यक्रमों का संचालन करना उनके शिक्षा भोजन, एवं पुनर्वास, सेवाग्रह की व्यवस्था करना।

17. महिलाओं एवं बच्चों के चौमुखी विकास हेतु महिला मंडल, स्वयं सहायता समूह, पालना गृह, पौष्टिक अहार केन्द्र, महिला सशक्तिकरण आदि कार्यक्रमों का संचालन करना।

28.11

18. महिलाओं को रोजगारोन्मुख बनाने हेतु सिलाई, कटाई, बुनाई पेन्टिंग मधुबनी पेन्टिग, एपलिक, सौन्दर्य एवं प्रसाधन एवं अन्य व्यावसायिक प्रशिक्षण देना एवं स्वावलम्बी बनाने में मदद करना।

19. राष्ट्रीय एकता, आपसी सद्भावना, धर्म निरपेक्षता के लिए लोगों को जागरूक करना जातीय भेद-भाव को समाप्त करने हेतु सभी प्रकार के कार्यक्रमों का संचालन करना।

20. वरिष्ट नागरिकों की समस्याओं का निदान एवं स्वस्थ्य मनोरंजन की व्यवस्था करना।

21. ट्रस्ट द्वारा धर्म के प्रचार प्रसाद हेतु मन्दिर की स्थापना, व्यवस्था, रख-रखाव एवं संचालन करना तथा संतसंग आदि कार्यक्रम संचालन करना साथ ही धर्म प्रचार प्रसार हेतु कार्यक्रमों का आयोजन करना।

....

विश्व अनु सोशल एण्ड़ एजुकेशनल ट्रस्ट

की

नियमावली

1. परिभाषाएं

क- न्यास का नाम	:	**विश्व अनु सोशल एण्ड़ एजुकेशनल ट्रस्ट**
ख- न्यास का ट्रस्टी	:	न्यासकर्ता मुख्य न्यासी होंगे ।
ग- मुख्य कार्यकारी पदाधिकारी	:	न्यासकर्ता इस न्यास के मुख्य कार्यकारी पदाधिकारी होंगे ।
घ- पदाधिकारी	:	न्यासकर्ता एवं न्यासी न्यास के पदाधिकारी होंगे ।
ड- प्रबंध समिति	:	पदाधिकारी सदस्य ही प्रबंध समिति के सदस्य होंगे।
च- वितीय लेखा वर्ष	:	01 अप्रैल से 31 मार्च तक।
छ- एक्ट		ट्रस्ट एक्ट 1882 के अन्तर्गत

3. **सदस्यता की समाप्ति/विमुक्ति**

1. स्वयं त्यागपत्र देने पर।
2. दिवालिया या पागल होने पर।
3. न्यास के उद्देश्य के विप्रीत कार्य करने पर।
4. न्यास के नियमों और विनियमों के उल्लंघन करने पर विपरीत आचरण पर।
5. प्रबंध समिति द्वारा अविश्वास प्रस्ताव पारित करने पर संस्थापक द्वारा निष्काषित करने पर।

6. न्यास के कोष/निधि से अर्जित चल/अचल सम्पत्ति का किराये/लीज/पट्टे पर लेना एवं देना।

7. न्यास के काम से बचत/चालू/आवर्ती जमा/अनावर्ती/ जमा खाता खोलना और न्यास कोष संचित करना और खाता का संचालन सेट्लर सह/न्यासकर्त्ता के हस्ताक्षर से करना ।

8. न्यास का प्रतिनिधत्व करने हेतु प्रतिनिध/परामर्शदाता नियुक्त करना/अधिकत करना।

9. न्यास के उद्धेश्य की पूर्ति हेतु पूर्ण कालिन/अशकालिन वैतनिक/अवैतनिक अधिकारियों/लापरवाही के लिए दंडित करना और नियुक्ति रद करना।

10. न्यास के उद्देश्य और नियमावली में आवश्कतानुसार संशोधन करना।

11. किसी अन्य न्यास/ट्रस्ट/संगठन/संस्थान में सम्बद्ध होना, सम्बद्ध करना और उद्धेश्य की पूर्ति करना।

12. न्यास का स्थनान्तरण करना ।

13. न्यास के सम्पति, कोष/निधि समान उद्धेश्य वाले संस्थान/स्वैच्छिक संगठन, न्यास/ट्रस्ट को देना।

14. न्यास के उद्देश्य की पूर्ति हेतु आवश्यकतानुसार समाज के कल्याणार्थ, राज्य/जिला/प्रखण्ड/पंचायत शाखा समिति गठित करना और उद्देश्य के अनुरूप कार्यक्रम संचालित करना और राज्य/केन्द्र सरकार को कार्यक्रम संचालन में सहयोग प्रदान करना।

15. न्यास के आय-व्यय का लेखा जोखा और वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर आय व्यय लेख का अंकेक्षण करना और अंकेक्षण हेतु अंकेक्षक की नियुक्ति करना।

16. न्यास के प्रबंध समिति के सदस्यों का निर्वाचन करना और प्रबंध समिति गठित करना।

8
28.11

17. न्यास के सदस्यों को कुल संख्या कम से कम 3 होगी और अधिक से अधिक 8 कोगी।

18. न्यासकर्त्ता को अतिरिक्त न्यासी को मनोनीत करने का अधिकार होगा। उनका कार्यकाल न्यासकर्त्ता द्वारा तय किया जायेगा।

19. न्यासकर्ता को समय-समय-समय पर नियम बनाने परिवर्तन और संशोधन का अधिकार होगा। न्यासी के बैठक में कोरम न्यासी की उपस्थिति से होगा एवं सभी निर्णय संविधान के अन्तर्गत लिए जायेगे।

5. **प्रबंध समिति का निर्वाचन:**

प्रबंध समिति का निर्वाचन प्रत्येक तीन वर्षो पर होगा। प्रबंध समिति का गठन निबंधन के पश्चात निर्वाचन के आधार पर होगा।

6. **प्रबंध समिति का अधिकार-**

पाँच सदस्य सेट्लर द्वारा निर्वाचित किए जाएंगे। शेष तीन सदस्य साधारण सदस्य, और स्थायी सदस्यों में से निर्वाचित किये जायेंगे।

7. **पदाधिकारी के अधिकार और कर्त्तव्य-**

1. सेटलसर सह-न्यासी (न्यास कर्ता)
   1. सेट्लर सह -न्यासी के मुख्य कार्यकारी पदाधिकारी होंगे।
   2. न्यास की ओर से सभी तरह का पत्राचार करना।
   3. न्यास के कार्यो की समीक्षा करना।
   4. न्यासी एवं प्रबंध समिति संसाधन सृजित करना।
   5. न्यास के लिए अतिरिक्त संसाधन सृजित करना।
   6. आवश्यकता पड़ने पर पर निर्णायक मत देना या विवादाग्रस्त परिस्थिति में न्यासकर्ता का निर्णय अन्तिम और सर्वमान्य होगा। उनके निर्णय को कोई चुनौती नही दी जायेगी।
   7. न्यास के सभी कार्य उनके प्रशासनिक निर्णय के अन्तर्गत ही किया जाएगा।

8. न्यासकर्त्ता/सेट्लसर जब चाहे प्रबंध समति के सदस्य की सदस्यता को रद्द करने का अधिकार होगा और उनका निर्णय अन्तिम और सर्वमान्य होगा।

9. सेट्लसर अध्यक्ष को यह अधिकार होगा कि न्यास का विघटन नही कर सके।

10. न्यास के मुख्य कार्यकारी पदाधिकारी की हैसियत से न्यास के दैनिक प्रशासन से संबंधत सभी लेखा पत्रों पर हस्ताक्षर करने के लिए सर्वोच्च पदाधिकारी होंगे तथा सभी मामलों में एक सर्वत्र अधिकार के अधीन रह कर ट्रस्ट का प्रतिनिधत्व करेंगे।

11. न्यास के सभी अलिखों को सुरक्षित रखना एवं हस्ताक्षर करना।

12. न्यास की सभी बैठकों का आयोजन करना तथा सेटलर परामर्श से बैठकों के लिए एजेन्ड/कार्यक्रम बनाना।

13. न्यास के समस्त आय-व्यय का लेखा-जोखा तैयार करना तथा उनका अंकेक्षण करना, वार्षिक बजट प्रस्तुत करना।

14. न्यास की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए सुझाव देना एवं प्रबंध समिति के समक्ष उपस्थापित करना तथा न्यास के विकास हेतु देश-विदेश में प्रतिनिधत्व करना।

15. बैठक में पारित किये गये प्रस्तावों के अनुरूप कार्य सम्पादित करना/ अनुपालन करना।

16. न्यास के कार्यक्रमों, कार्यो के सम्पादन हेतु अधिकारियों/कर्मचारियों की नियुक्ति करना या कार्य मुक्त करना।

17. आवश्यक कार्य हेतु प्रबंध समिति की बिना पूर्व स्वीकृति के न्यासकर्ता समय-समय पर आवश्यकतानुसार अर्थ की पुर्ति किया करेंगें।

18. राष्ट्रीय/राज्य/जिला शाखा के कार्यो का पर्येक्षण करना।

2. **मुख्य ट्रस्टी (सचिव)- सेटलर**

सेटलर न्यास की एकता का प्रतीक होगा और न्यास की प्रतिष्ठा, सुरक्षा, पवित्रता और समग्रता का प्रहरी होगा। आम सभा, प्रतिनिधि सभा, असाधारण आम सभा, प्रबंध समिति तथा किसी समिति, उप समिति की बैठक की अध्यक्षता करेंगे और किसी प्रस्ताव पर बराबर मतदान की स्थिति में निर्यायत मत देने का अधिकार होगा। असामान्य स्थिति में न्यास के आवश्यक कार्यो को सम्पन्न करेगा।

28.11

3. ट्रस्टी (कोषाध्यक्ष)-

न्यास के कोष रोकड़ और बैंक पास बुक को सुरक्षित रखने का उत्तरदायित्व ट्रस्टी को होगा। अधिक से अधिक पाँच हजार रूपये तक न्यास के कार्यों के लिए कोषट्रस्टी अपने पास रखेंगे। परन्तु इससे अधिक धनराशि जमा हो जाने पर डाकघर या बैंक (किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक) में न्यास के नाम से जमा करना कोषट्रस्टी का दायित्व होगा।जमा कोष से रूपये की निकासी न्यासकर्ता सह ट्रस्टी-सेटलर का हस्ताक्षर अनिवार्य होगा।

4. प्रबंध समिति के निम्नलिखित अधिकार तथा कार्य होंगे।

(क) न्यास के सभी चल-अचल सम्पतियों की सुरक्षा एवं सुचारू प्रबंध के लिए उत्तरदायी रहना।

(ख) न्यास के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु कार्यक्रम के क्रियान्वयन के लिए आम सभा की स्वीकृति प्राप्त करना तथा उसकी पूर्ति हेतु सभी तरह के आवश्यक कार्य करना।

(ब) समान उद्देश्यों की ट्रस्ट, स्वैच्छिक संगठन के साथ सहयोग करने का निर्णय लेना, सम्बद्धता प्राप्त करना तथा उसकी पूर्ति हेतु सभी तरह के आवश्यक कार्य करना।

(ग) समान उद्देश्यों की ट्रस्ट, स्वैच्छिक संगठन के साथ सहयोग करने का निर्णय लेना, सम्बद्धता प्राप्त करना तथा उसकी पूर्ति हेतु सभी तरह के आवश्यक कार्य करना।

(घ) जिला/अनमंडल/प्रखण्ड/पंचायत शाखा हेतु व्यय के लिए धन राशि का आवंटन करना।

(ड.) प्रबंध समिति प्रत्येक कार्यवाही का निर्णय न्यास के नियमानुसार करेगी।

(च) सदस्यता के लिए प्राप्त आवेदन पत्र को स्वीकृत या अस्वीकृत करना।

(छ) किसी सदस्य जिनका चरित्र उद्देश्यों को कुठाराघात पहंचाता हो उसे सदस्यता से वंचित करना/विमुक्त करना।

(ज) न्यास के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु जो भी आवश्यक एवं हितकर हो उसे करेगी।

6. संस्थापक/न्यासकर्त्ता द्वारा निष्काषित करने पर।

4. **न्यास का प्रबंधन-**

न्यास का प्रबंधन सेटलर सह मुख्य न्यासी द्वारा गठित प्रबंध समिति द्वारा किया जाएगा जिसमें पदाधिकारी सहित चार सदस्य होंगे प्रबंध समिति का कार्यकाल 3 वर्षो का होगा किन्तु आवश्यकता पड़ने पर या विशेष परिस्थिति उत्पन्न होने पर./न्यासकर्त्ता को यह अधिकार होगा कि वे प्रबंध समिति को भंग कर नया प्रबंध समिति गठित कर लें।

विशेष परिस्थिति में प्रबंध में किसी रिक्ति को भरने का अधिकार संस्थापक सह मुख्य न्यासी को होगा जो शेष अवधि के लिए मनोनीत किये जायेगे।

न्यास के उद्देश्य के पूर्ति हेतु न्यास के अधिकार निम्नलिखित होंगेः

1. दान, चन्दा, अनुदान, ऋण, सदस्यता, शुल्क, सहयोग राशि, धन, सम्पति, व्यक्ति विशेष, संस्थान, स्वेच्छिक संगठन, न्यास और सरकार से प्राप्त करना और जनहित में कार्यक्रम संचालित करना।

2. समय-समय पर न्यास के कोष/निधि का उपयोग न्यास के उद्देश्य की पूर्ति हेतु करना।

3. न्यास के सम्पति में वृद्धि करने का उपाय करना और न्यास के निधि का उपयोग शेयर, स्टॉक एवं अन्य जमा पूंजी में निवेश करना या राष्ट्रीयकृत बैंक/डाकघर, एच0 डी0 एफ0 सी0/ आई0 सी0 आई0 सी0 आई0/ मल्टीनेशनल बैंक में खाता खोलकर जमा करना।

4. न्यास के उद्धेश्य की पूर्ति हेतु राजीव गाँधी फाउन्डेशन बैंक, राष्ट्रीयकृत बैंक, नवार्ड, कपार्ट, विश्व बैंक या एशियन डेवलपमेंट बैंक, अन्तर्राष्ट्रीय/राष्ट्रीय संगठनों विश्व स्वास्थ्य संगठन या संगठनों से दान, अनुदान एवं ऋण प्राप्त करना।

5. न्यास के कोष/निधि का उपयोग समाज के उत्थान एवं उनकी कल्याण के कार्यक्रमों में प्रयोग किया जायेगा।

6. **प्रबंध समिति की बैठक-**

(1) साधारण सभा के लिए कम से कम सात दिन, असाधारण बैठक के लिए तीन दिन और आपातकालीन बैठक के लिए एक दिन की पूर्व सूचना दिया जाना आवश्यकत होगा।

(2) प्रबंध समिति की बैठक प्रत्येक तीन महीने में एक बार होगी।

(3) बैठक में कुल सदस्यों की एक तिहाई उपस्थिति को कोरम माना जाएगा।

(4) स्थगित बैठक के लिए कोरम की आवश्यकता नही होगी। किन्तु प्रथम सूचना के बाहर के किसी विषय पर विचार नहीं हो सकेगा।

7. **आम सभा-**

प्रबंध समिति द्वारा निश्चित तिथि, समय तथा स्थन पर वार्षिक आम सभा प्रत्येक वर्ष के अप्रैल माह में होगी जिसकी पूर्व सूचना कम से कम 15 दिन पूर्व सभी सदस्यों को दे दी जाएगी। आम सभा के निम्नलिखित कार्य होंगे।

1. पिछली बैठक की कार्यवाही को संपुष्ट करना।
2. वार्षिक प्रतिवेदन का स्वीकृति प्रदान करना।
3. न्यास के कार्यो की समीक्षा करना।
4. अंकेक्षित आय-लेखा पर विचार करना एवं स्वीकृति प्रदान करना।
5. अंकेक्षक की नियुक्ति करना।
6. आगामी वर्ष के लिए आय-व्यय का बजट तैयार करना एवं स्वीकृति प्रदान करना।
7. आगामी वर्ष के लिए कार्यक्रम सुनिश्चित निर्धारित करना।
8. पूर्व सूचना प्राप्त किसी प्रस्ताव पर न्यासकर्त्ता सह ट्रस्टी सचिव की अनुमति से विचार करना।

8. **असाधारण बैठक-**

न्यासकर्ता सह न्यासी के द्वारा तीन दिन पूर्व की सूचना पर निम्नांकित अवस्था में असाधारण बैठक बुलाई जा सकती है।

1. आवश्यकतानुसार न्यासकर्ता सह-यासी की सलाह पर।
2. कुल सदस्यों की दो तिहाई सदस्यों के द्वारा बैठक की मांग किये जाने पर।

3. सभा/बैठक का कार्यप्रणाली का नियम न्यासकर्ता-सह-न्यासी निर्णय के अनुसार होगा और संस्थापक उनके अध्यक्ष के निर्णय को कहीं भी चुनौती नहीं दी जायेगी।

4. आम सभा के बैठक की सूचना 30 दिन पूर्व दी जायेगी।

5. प्रबंध समिति के बैठक की सूचना 15 दिन पूर्व दी जायेगी।

6. बैठक की सूचना निबंधित डाक, पंजी या विशेष दूत से दी जायेगी।

9. **मतदान-**

साधारण मतदान हाथ उठाकर खुले आम किया जायेगा। किसी विशेष परिस्थिति में गुप्त मतदान भी किया जा सकेगा। किसी विशेष परिस्थिति में गुप्त मतदान हाथ उठाकर खुले आम किया जायेगा। किसी असाधारण परिस्थिति में प्रबंधन समिति की अनुमति लेकर न्यासकर्त्ता द्वारा मतदान की भी व्यवस्था हो सकती है।

10. **कार्यकाल-**

पदाधिकारियों सदस्यों का कार्यकाल आजीवन होगा।

11. **रिक्त पदों की पूर्ति-**

प्रबंध समिति में कोई भी पद किसी भी कारणवश रिक्त हो जाने पर रिक्त पद पर अवशिष्ट कार्यकाल के लिए न्यासकर्ता / सेटलर किसी भी अन्य सदस्य का मनोयन कर सकते है।

12. **आय का श्रोत-**

न्यास के आय के निम्नलिखित श्रोत होंगे।

(क) दान एवं चन्दा।

(ख) अनुदान।

(ग) ऋण।

(घ) उत्पादित वस्तुओं के विक्रय से/चेरिटी शो के आयोजन/शिक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थान संस्थान की स्थापना से।

(ड.) सम्बद्धता शुल्क एवं अन्य शुल्क।

(च) विघटित संस्थान, संस्था एवं न्यास के कोष की प्राप्ति से प्राप्त कर ली जायेगी। निबंधन जब चाहे न्यास का अंकेक्षण कर सकते है। जिसका खर्च न्यास वहन करेगी।

8
28'11

14. **कोरम -**

आम सभा/प्रबंध समिति की बैठक का कोरम सदस्य न्यास के 2/3 भाग का होगा।

15. न्यास के स्मृति पत्र एवं नियमावली में संशोधन

न्यास के स्मृति पत्र एवं नियमावली में समावेश एवं संशोधन मुख्य न्यासी द्वारा साधारण सभा की बैठक में उपस्थिति सदस्यों के समक्ष लिया जाएगा।

....

प्रमाणित किया जाता है कि यह **विश्व अनु सोशल एण्ड एजुकेशनल ट्रस्ट** के स्मृति-पत्र एवं नियमावली की (सच्ची प्रतिलिपि है) यह प्रमाणिक प्रति है।

गवाह

1. श्री Chandra Bhushan Singh
   पिता- Late - Ganesh Singh
   New Chandmari (Chitwaniya)
   P/S - Bangariya

2. श्री Vivek Kumar Singh
   पिता- Roop Narayan Singh
   AT- CHIK NAUTTA, P.O.- CHAPRA BAHAS, P.S- SUGAWALI
   E. CHAMPARAN, 845435

1. न्यासकर्त्ता सह मुख्य न्यासी
   सही - शिव किशोर सिंह
   28-11-2014

2. न्यासी सदस्य
   इच्छा देवी
   28.11.14

3. न्यासी सदस्य
   संतोष कुमार [illegible]
   28.11.2014

4. न्यासी सदस्य
   [illegible]
   28-11-14

5. न्यासी सदस्य
   मणि भूषण कुमार
   28-11-14.

टंकक-

[illegible]
28.11

Endorsement of Certificate of Admissibility

Admissible under Rule 5 : duly Stamped (or exempted from or does not require stamp duty) under the Indian Stamp Act, 1899, Schedule I or I-A, No. '64'. Also admissible under section 26(a) of the B. T. Act.

Stamp duty paid under Indian Stamp Act	**Rs. 5000/-**
Addl.Stamp duty paid under Municipal Act	**Rs. 0/-**

Amt.Paid By N.J Stamp Paper	**Rs.**	**0/-**
Amt.paid through Bank Challan	**Rs.**	**6340/-**

Registration Fee — **FEE PAID**

A1	**1020**	C	**0**	H1b	**0**	K1a	**0**	Lii	**0**
A8	**0**	D	**0**	H2	**0**	K1b	**0**	Liii	**0**
A9	**0**	DD	**0**	I	**0**	K1c	**0**	Mb	**0**
A10	**0**	E	**0**	J1	**0**	K2	**0**	Na	**0**
B	**0**	H1a	**0**	J2	**0**	Li	**0**		
								TOTAL-	**1020**

LLR + Proc Fee

LLR	**0**
Proc.Fee	**0**
Total	**0**

Service Charge: **320**

Total amont paid (Reg. fee+LLR, Proc+Service Charge) in Rs. - 1340

Date: 28/11/2014

28-11

Registering Officer
Motihari

Endorsement under section 52

Presented for registration at Registration Office, Motihari Sadar on Friday, 28th November 2014 by Shiv Kishor Singh(Settelor- Vishwa Anu Social And Educational Trust) Vishwanath Singh by profession Agriculture. Status -

शिव किशोर सिंह

Signature/L.T.I. of Presentant **Date:28/11/2014**

28-11

Registering Officer
Motihari Sadar

Endorsement under section 58

Execution is admitted by those Executants and Identified by the person (Identified by 'Chandra Bhushan Kumar Singh' age '45' Sex 'M', 'Jangali Singh', resident of 'Banjariya,ps-Banjariya,e.C'.), whose Names, Photographs, Fingerprints and Signatures are affixed as such on back page / pages of the instrument.

28-11

Registering Officer
Motihari

Date : 28/11/2014

Endorsement of Certificate of Registration under section 60

Registered at Registration Office Motihari Sadar in Book 4 Volume No. 2 on pages on 476 -491 , for the year 2014 and stored in CD volume No. CD-1 year 2014 .The document no. is printed on the Front Page of the document.

28-11

Registering Officer
Motihari

Date : 28/11/2014

Token No. : 14564 **Year : 2014** **S.No. : 14066** **SCORE Ver.3.0** **Deed No . : 91**